

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 18 (5)त.शि./2004-I

जयपुर, दिनांक, अक्टूबर, 2019
7-11-2019

समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थान,
राजस्थान

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2020-21, 2021-2022 एवं 2022-23 की फीस निर्धारण तिथि में वृद्धि किये जाने बाबत।

संदर्भ :- इस विभाग के संमसंख्यक पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2019 महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21, 2021-2022 एवं 2022-23 की फीस निर्धारण के संबंध में कॉलेजों/संस्थानों से निर्धारित प्रपत्र में रिकॉर्ड प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि 15.11.2019 तक बढ़ायी जाती है।

Dean (AA)

(5)

भवदीय

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तरीय निर्धारण समिति।
- 2 रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।
- 3 रजिस्ट्रार, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
- 4 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर।
- 5 अध्यक्ष, राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज, सोसायटी, जयपुर।
- 6 श्रीमति रुचि भास्कर, प्रभारी राजस्तरीय शुल्क समिति का कार्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त संस्थानों को सूचित करते हुए संबंधित वेबसाइटों पर भी अपलोड करावे।

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति